205

संख्या– 526 /VI-2/2013–2(28)2007

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल/उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/बागेश्वर/चम्पावत/
पौड़ी/टिहरी/चमोली/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 23 अक्टूबर 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए जिला योजनान्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुदान की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के संख्या–2186/सं0नि0उ0/दो–3/2013–14 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 तथा शासनादेश संख्या–267/VI–2/2013–2(28)2007 दिनांक 29 मई, 2013 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–668/XXVII(1)/2013 दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुपूरक मांग द्वारा प्राप्त संस्कृति विभाग की जिला योजनान्तर्गत, आयोजनागत पक्ष में निम्न विवरणानुसार धनराशि आपके निवर्तन रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख ₹ में)

क0सं0	जनपद का नाम	परिव्यय	शासनादेश सं0 267 / 2013 दिनांक 29 मई, 2013 के द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के सापेक्ष बजट का आवंटन। (आयोजनागत)
1	नैनीताल	5.00	3.00	2.00
2	उधमसिंहनगर	18.00	8.00	6.00
3	अल्मोड़ा	52.50	20.00	19.00
4	पिथौरागढ़	15.00	5.50	5.50
5	बागेश्वर	20.00	8.00	6.57
6	चम्पावत	10.00	4.00	2.00
7	पौड़ी	18.00	7.00	8.00
8	टिहरी	30.00	10.00	10.00
9	चमोली	10.00	4.00	3.00
10	उत्तरकाशी	30.00	10.00	10.00
11	रूद्रप्रयाग	2.00	0.50	1.50
	योग	**210.50**	**80.00**	**73.57**

2–उक्त स्वीकृत धनराशि शासनादेश सं0 355/VI-I/2006–9(19)2006 दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 के द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने पर ही आहरित की जायेगी। उक्त धनराशि जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित योजना पर ही व्यय की जायेगी।

3–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग

के शासनादेश सं0–284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013, में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

4– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे जायें।

5– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही आहरित किया जायेगा। आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–10–महान विभूतियों की मूर्तियों की स्थापना–1091–जिला योजना–25–लघु निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के मानक मद के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या–526/VI-2/2013–2(28)2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– अपर सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5– संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/बागेश्वर/चम्पावत/पौड़ी/टिहरी/चमोली/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग।
7– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
9– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उपसचिव।